



षोडश बिहार विधान सभा

त्रयोदश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-08.07.2019 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4

- श्री जिवेश कुमार,
स०वि०स०
श्री सुधांशु शेखर,
स०वि०स०
श्री विद्या सागर केशरी,
स०वि०स०
श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव,
स०वि०स०
श्री मनोज कुमार,
स०वि०स०
श्रीमती गायत्री देवी,
स०वि०स०
श्री बशिष्ठ सिंह,
स०वि०स०
श्रीमती बेबी कुमारी,
स०वि०स०

बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली 1959 की नियम 23(1/च)(2ड.) में प्रावधान किया गया है कि "उसके विरुद्ध किसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के किसी संव्यवहार से सम्बंधित कोई दौंडिक कार्यवाही लम्बित हो, जिसमें संज्ञान ले लिया गया हो तथा नियम 24-प्रबंध समिति का कोई सदस्य अपने पद पर नहीं रह सकेगा, यदि नियम-23 में उल्लिखित कोई भी अयोग्यता आ जाय ।" इस नियम का गलत व्याख्या कर निर्वाचित मंत्री/अध्यक्ष पर संज्ञान कराकर उसे अयोग्य किया जा रहा है । पब्लिक रिप्रजेंटेटिव एक्ट जिसके तहत जन प्रतिनिधि (मुखिया से सांसद तक) निर्वाचित होते हैं, में प्रावधान है कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि अपने पद से अयोग्य तब होंगे जब वे न्यायालय द्वारा दोषी घोषित कर दिए जायेंगे । माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पेटिसन नं०-536/2010 में दिनांक-26.06.2018 को नियमन दिया गया है कि दोगी व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से तब तक नहीं रोका जा सकता जब तक वे न्यायालय द्वारा अपराधी न घोषित कर दिए जाय ।

अतः बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली 1959 की नियम 23(1/च)(2ड.), 24 के प्रावधान में संशोधन करते हुए संज्ञान के स्थान पर सजायाफ्ता जोड़ने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

सहकारिता

बटेश्वर नाथ पाण्डेय
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-13/19- 720 / वि०स०, पटना, दिनांक-05 जुलाई, 2019 ई० ।

प्रति:- बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग तथा सहकारिता विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


(पांडव कुमार सिंह)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-13/19- 720 / वि०स०, पटना, दिनांक-05 जुलाई, 2019 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।


(पांडव कुमार सिंह)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

